The Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Act, 2016

Act 11 of 2016

Keyword(s):
Bringing goods into a local Area, Business, Dealer, Local Area, Entry of Goods

Amendment appended: 2 of 2017

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 31 अगस्त, 2016

संख्याः एल0एल0आर0–डी(6)–1/2016–लेज.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12–08–2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
(डा0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि) ।

2016 का अधिनियम संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 12 अगस्त, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ii) में ''क्रम संख्या 6 और 7'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''क्रम संख्या 1 (क)'' शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

3. **नई धारा 4–क का अन्तःस्थापन.**–मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''4–क. ई–कामर्स पर कर का उद्ग्रहण.–(1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट माल के स्थानीय क्षेत्र में ऑनलाइन क्रय या संव्यवहार के माध्यम से या ई–कामर्स के माध्यम से प्रवेश पर कर उद्गृहीत किया जाएगा।

(2) कर, माल के मूल्य पर, विहित रीति में उद्गृहीत किया जाएगा और आयातकर्ता की ओर से माल के भारसाधक व्यक्ति से संगृहीत किया जाएगा।"।

4. **धारा 6–क का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 6–क में,–

(क) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :–

''(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी विवरणी को ऐसी रीति में दाखिल करेगा जैसी विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरणी को दाखिल करने से पूर्व व्यौहारी यथाविहित प्रत्येक अवधि के लिए देय कर की सम्पूर्ण रकम जमा करेगा और ऐसे कर के संदाय का सबूत निर्धारण प्राधिकारी को देगा।''; और

(ख) उपधारा (3) में ''मासिक'' शब्द का लोप किया जाएगा।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 11 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA (AMENDMENT) ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 12TH AUGUST, 2016)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Act, 2016.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (4), in clause (ii), for the words, figures and signs "Sr. Nos. 6 and 7", the words, figure and signs "Sr. No. 1(a)" shall be substituted.

3. Insertion of new section 4-A.—After section 4 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"4-A. Levy of tax on e-commerce.—(1) Notwithstanding anything contained in section 3, there shall be levied a tax on entry of goods specified in Schedule-II into local area made through online purchase or transaction or through e-commerce.

(2) The tax shall be levied on the value of the goods in the manner prescribed and shall be collected from the person-in-charge of the goods on behalf of the importer.".

4. Amendment of section 6-A.—In section 6-A of the principal Act,—

(a) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(1) Every registered dealer shall furnish return in such manner as may be prescribed.

(2) Before filing of return under sub-section (1), a dealer shall deposit full amount of tax due for each period as prescribed and shall furnish the proof of payment of such tax to the Assessing Authority.”; and

(b) in sub-section (3), the word “monthly” shall be omitted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 14 फरवरी, 2017

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–27/2016–लेज.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09–02–2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को वर्ष 2017 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(डा0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

2017 का अधिनियम संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2017 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह प्रथम सितम्बर, 2016 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **धारा 3 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ii) में, ''अनूसूची 2 की क्रम संख्या 1 (क)'' शब्दों, अंकों और चिन्हों से पूर्व ''जब ऐसा माल विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन, पैकिंग या ऊर्जा के आबद्ध उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है तो'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. **धारा 8 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु जब ऐसा माल विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन, पैकिंग या ऊर्जा के आबद्ध उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है तो अनुसूची 2 की क्रम संख्या 1 (क) में वर्णित माल पर कोई छूट (सैट–ऑफ) नहीं होगी।''।

4. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.–(1) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अनुसार की गई समझी जाएगी।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 2 OF 2017

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA (SECOND AMENDMENT) ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 9TH FEBRUARY, 2017)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Second Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on 1st day of September, 2016.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (4), in clause (ii), after the words and signs "of Schedule-II", the words and signs "when such goods are used in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling, packing or captive generation of power" shall be inserted.

3. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, after sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that no set off shall be available on goods mentioned at Serial No.1(a) of Schedule-II when such goods are used in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling, packing or captive generation of power.".

4. Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2016 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Second Amendment) Ordinance, 2016 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.